फर्द अहकाम

बनाम

संख्या /वर्ष : /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	4.8.22	पत्रावली पेशहुई। पक्षकारान वकील रूबरू। पक्षकारान वकील बीजबस प्रार्थना पत्र पर गौर किया एवं प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्व० रामकरण के वारिसान है परन्तु वादग्रस्त भूमि बाबत रामप्यारी के हिस्से को लेकर विवाद है, जो अप्रार्थी संख्या 2 रामप्यारी ने अपना हिस्सा स्वेच्छा से अप्रार्थी संख्या 01 के हक में हकत्याग कर दिया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 काबिज काश्त है और लगातार उसका हस्तान्तरण से उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 अप्रार्थी संख्या 01 की माता है जो अप्रार्थी संख्या 01 के पास शुरू से ही निवास करती है तथा उसकी सेवा सुश्रुषा अप्रार्थी संख्या 01 ही करता है। अप्रार्थी संख्या 01 ही उसका इलाज करवाता है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पूर्णतया सोच समझकर ही अप्रार्थी संख्या 01 के हक में बिना किसी दबाव उपजीवक दबाव के सम्पत्ति पर हकत्याग निष्पादित करवाया है और अपने हिस्से की भूमि काबिज्यत भी बिना किसी रूप से अप्रार्थी संख्या 01 को सौंप दिया गया है। जिसका हस्तान्तरण प्रकार से अप्रार्थी संख्या 01 उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 के हक में अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से की भूमि का स्वेच्छापूर्वक रजिस्टर्ड हकत्याग निष्पादित किया है। अप्रार्थी संख्या 02 स्वस्थ है तथा अप्रार्थी संख्या 02 की मानसिक स्थिति सही है। जिन अप्रार्थी संख्या 02	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	ने जिन अप्रार्थी संख्या 01 के अपनी स्वेच्छा से विधिपूर्वक हकत्याग निष्पादित करवाया है उक्त हकत्याग पत्र किसी प्रकार का फर्जी नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र के जो आधार लिखे है उन आधारों पर उपरोक्त विवाद एवं रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार प्रार्थना पत्र प्रबल दृष्टया ग्रीमेन्टेबल नहीं है क्योंकि जिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्वयं की स्वेच्छा से अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 के हक में विधि अनुरूप निष्पादित किया है तथा कानूनन एक पूर्वक निष्पादित किया है तथा कानूनन एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार को हकत्याग कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 वादग्रस्त काश्तकार के रिश्तेदार सह खातेदार थे और एक खातेदार द्वारा दूसरे सह खातेदार को हकत्याग किया गया है जो विधिपूर्वक रजिस्टर्ड हकत्याग निष्पादित किया है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त काश्त पर मालिकाना बैठे सियत काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त काश्त हकत्याग पत्र को चैलेंज किया है हकत्याग पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना पोषणीय नहीं है। हकत्याग एक रजिस्टर्ड पंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम नामान्तरकरण स्वयं हो चुका है जो एक अभि शिक्षित खातेदार के पिता	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:39:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner